न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 48 / 2023

उनवान

1. मुकेश पुत्र सोहन लाल जाति नाई नि. विलियाकलां तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. कमलेश पुत्र सोहन लाल जाति नाई नि. विलियाकलां तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. कांता पुत्री रामलाल जाति नाई नि. विलियाकलां तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
4. कालू पुत्र रामलाल जाति नाई नि. विलियाकलां तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
5. जानी देवी पत्नि सोहनलाल जाति नाई नि. विलियाकलां तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
6. टीना पुत्री रामलाल जाति नाई नि. विलियाकला तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
7. मदन पुत्र देवी जाति नाई नि. विलियाकला तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
8. मोहनी पत्नि मिठू जाति नाई नि. विलियाकलां तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
9. रेखा पुत्री रामलाल जाति नाई नि. विलियाकला तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
10. रतन पुत्र देवी लाल जाति नाई नि. विलियाकला तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
11. राजू पुत्र सोहन जाति नाई नि. विलियाकलां तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
12. रामचन्द्र पुत्र उंकार जाति नाई नि. विलियाकलां तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
13. शंकर पुत्र रामलाल जाति नाई नि. विलियाकलां तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
14. शम्भू पुत्र देवी जाति नाई नि. विलियाकलां तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
15. सुशीलाल पुत्री रामलाल जाति नाई नि. विलियाकलां तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
16. सीता देवी पत्नि रामालाल जाति नाई नि. विलियाकलां तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
17. सोना पुत्री रामालाल जाति नाई नि. विलियाकलां तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
18. वंशी पुत्र उंकार जाति नाई के वजाया
    1. गोपाल पुत्र वंशी जाति नाई नि. विलियाकला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

वनाम

1. श्री देवीलाल पुत्र वालू कुम्हार नि.विलियाकलां तह. हमीरगढ।
2. लालु पुत्र भैरू कुम्हार नि.विलियाकलां तह. हमीरगढ।
3. गोपाल दत्तक पुत्र उदा कुम्हार नि.विलियाकलां तह. हमीरगढ।
4. देवीलाल पुत्र मोहन गाडरी नि.विलियाकलां तह. हमीरगढ।
5. नारायण पुत्र मेघा गाडरी नि.विलियाकलां तह. हमीरगढ।
6. हजारी दत्तक पुत्र छोगा गाडरी नि.विलियाकलां तह. हमीरगढ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 12.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 27.03.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम विलियाकलां प.ह. विलियाकला भू0अ0नि0 खैराबाद तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 360 की आ.न. 334 रकबा 0.1265है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 06.04.2023 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 06 वावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम विलियाकलां तह. हमीरगढ प.ह. विलियाकला भू0अ0नि0 खैराबाद तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 360 की आ.न. 334 रकबा 0.1265है0, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 12.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ